कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी।

दिनांक– 22.05.2019

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–6221 / एडमिन–जी–1 / 2019 इलाहाबाद दिनांकित 14.05.2019 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0– 102 / सात–न्याय–2–2015–728 / 86 दिनांकित 18.06.2015 के अधीन तथा जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी से विचार विमर्श के उपरान्त परिवार न्यायालय कौशाम्बी में परामर्शदाता की आबद्वता के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकिया के अधीन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है–

1. अर्ह व्यक्तियों से आवेदन पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।
2. यह प्रयास किया जायेगा कि उक्त व्यक्ति उसी जिले से सम्बन्धित हो जहां परिवार न्यायालय स्थित हो यदि इस तरह का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगो को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाध्यता नहीं है।
3. शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाज शास्त्र तथा मनोविज्ञान में से किसी एक से स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाजसेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति समाजिक कार्य में मास्टर डिग्रीधारक हो और पारिवारिक कौन्सिल में जिन्हे दो वर्ष का अनुभव है, उन्हे वरीयता दी जायेगी।
4. विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35–65 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
5. आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त राज्यसरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जाये और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष 05 लोगो की सूची तैयार की जायेगी।
6. राज्य सरकार के अर्ह परामर्शदाताओ की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उसके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
7. परामर्शदाता हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामो के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामो पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।
8. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में 03 वर्ष का होगा। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उसके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।
9. परामर्शदाता के पद पर नियुक्त शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्व रहेगे।

उक्त प्रकिया के अन्तर्गत परामर्शदाता के आबद्व हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र स्व–प्रमाणित फोटो सहित 04.06.2019 तक प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में अनिवार्य रूप से सायं 05 बजे तक उपलब्ध करा दें इसके पश्चात प्राप्त कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

22/5/19

प्रभारी प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,कौशाम्बी।

प्रतिलिपि–

1. जनपद न्यायालय, कौशाम्बी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी को स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, कौशाम्बी व जिला कलेक्टर कौशाम्बी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी को इस आशय से प्रेषित कि जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।